श्री अरुण कुमार पटेल की प्रथम मित्रित दिनांक 25.07.1976 को आदेश के पद पर श्री बटालियन, वि.स. बल जिला रीवा श्री-पायनियर कम्यूनी में कि गई (आर. न. 202)। श्री अरुण कुमार पटेल, द्वारा (तत्कालीन आर.क.202 श्री बटालियन जिला रीवा), जनरल नरसिंह प्रशिक्षण 1981 में उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप श्री पटेल को कार्यालय कमान्डेंट 9वी बटालियन वि.स. बल रीवा, द्वारा मेल नर्स के पद पर आदेश वर्ष 1982 के द्वारा पदोन्नति कर जगदलपुर, जिला बस्तर पद किया गया। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश कमांड 13834 दिनांक 23.10.1984 के द्वारा श्री अरुण कुमार पटेल, जिला चिकित्सालय जगदलपुर का स्थानान्तरण जिला चिकित्सालय सीधी किया गया।

प्रकरण के संबंध में संचालनालय के पत्र कमांड 9/नरसिंह/सेल-1/2016/964 दिनांक 08.11.2016 के मध्यम से श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नर्स के संबंध में प्रकरण की पूर्ण वस्तुस्तति के साथ श्री पटेल को संचालनालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। जिला चिकित्सालय सीधी के पत्र कमांड स्था./नरसिंह/2016/775764 दिनांक 09.11.2016 के द्वारा प्रकरण की पूर्ण जानकारी के साथ सेवा अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों उपलब्ध करायी गयी। श्री अरुण कुमार पटेल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 15.11.2016 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल में आह्वान किया गया।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नर्स की सेवापुरुषता की छायाप्राप्ति के अवलोकन से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो कि श्री पटेल का संविलित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हुआ है। श्री अरुण कुमार पटेल, द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे यह सिद्ध हो कि श्री पटेल का संविलित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में हुआ है।

श्री अरुण कुमार पटेल की सेवापुरुषता में दर्ज प्रविधि के आदाय पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये —

1. श्री अरुण कुमार पटेल, पुलिस विभाग रीवा में आस्थक के पद पर दिनांक 25.07.1976 नियुक्त हुए थे, इसकी प्रविधि सेवा पुरस्कार में है।
2. सेवा पुरस्कार में प्रविधि के अनुसार श्री अरुण कुमार पटेल को जनरल नरसिंह प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अस्थाई तौर पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मेल नर्स के पद पर पदोन्नति एवं स्थानान्तरण किया जाकर पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर के अधीन पदस्थ किया गया (कमांड/9 बाटा/सैपुलित/7376 दिनांक 10.07.1982)।

सिद्धार्थ..............
3. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश के आदेश क. 13834 दिनांक 23.10.1987 के द्वारा श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नरस का स्थानान्तरण जिला पुलिस 
चिकित्सालय जगदलपुर से ' संविध के व्यय पर जिला चिकित्सालय सीधी किया 
गया (सेवा पुरस्कार में प्रविष्टि नहीं पायी गयी)।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नरस की मूल सेवाएँ 
पुलिस विभाग की है।

कार्यालयीन जुटिवाक्ष चक्र नरस की विशिष्टता सूची में श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नरस के 
नाम की प्रविष्टि होने के कारण संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के आदेश क. 
/9/नरसिंग/सेल-1/2014/191 दिनांक 03.03.2014 द्वारा श्री पटेल को पदोन्नति नरसिंग 
सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर की गई। उक्त पदोन्नति आदेश के सरल क 124 पर श्री अरुण 
कुमार पटेल, का आक्रक है।

चूँकि श्री अरुण कुमार पटेल की मूल सेवाएँ पुलिस विभाग की है। अतः स्टाफ नरस की 
विभागीय वरिष्ठता सूची में श्री अरुण कुमार पटेल के नाम का समावेश एवं इसके फलस्वरूप उनकी 
पदोन्नति सही नहीं थी। इस कार्यालय के पत्र क. /9/नरसिंग/सेल-1/2016/964 दिनांक 08. 
11.2016 द्वारा श्री अरुण कुमार पटेल को सूचना पत्र जारी किया गया कि वे दिनांक 15.11.2016 
को संचालनालय में मेरे सामान उपस्थित होकर अपना पद प्रस्तुत करें, कि वों न स्टाफ नरस से 
नरसिंग सिस्टर के पद पर की गई उनकी पदोन्नति निरस्त कर दी जाये। दिनांक 15.11.2016 को 
यथाक्रम चुनावाइै में उनके द्वारा कुछ अन्य अभिलेख प्रस्तुत किये। लेकिन श्री अरुण कुमार पटेल 
ऐसा एक भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनकी मूल सेवाएँ लोक 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की हैं। इसके विपरीत उपलब्ध दस्तावेजों से यह पूरी तरह 
सिद्ध है कि अरुण कुमार पटेल की मूल सेवाएँ पुलिस विभाग की हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरांत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 
चूँकि श्री अरुण कुमार पटेल की मूल सेवाएँ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की नहीं हैं 
अतः स्टाफ नरस की विभागीय वरिष्ठता सूची में श्री अरुण कुमार पटेल के नाम का समावेश एवं 
उनके फलस्वरूप उनकी पदोन्नति सही नहीं थी।

अतः: विचारोपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के, आदेश क. /9/नरसिंग/ 
सेल-1/2014/191दिनांक 03.03.2014 द्वारा श्री अरुण कुमार पटेल को नरसिंग 
सिस्टर/हाउसकीपर के पद पर की गई पदोन्नति निरस्त कर जाती है।

श्री अरुण कुमार पटेल वर्तमान पदस्थापना जिला चिकित्सालय सीधी मध्यप्रदेश की मूल 
सेवाएँ पुलिस विभाग की होने के कारण इनकी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग के अधीन 
वापस की जाती है।

(डॉ.जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नरसिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ 
मध्यप्रदेश
प्रितिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र।
4. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।
5. कमांडेंट ३०वी बटलियन, (बी–पायलिनियर कम्पनी) वि.स. बल रीवा।
6. पुलिस अधीक्षक जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सीधी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नरस के संबंध में पूर्व में आपके द्वारा संचालनालय को सही जानकारी दी गई स्पष्टीकरण तक्कल संचालनालय को उपलब्ध कराये।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कोई मेल नरस, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं एवं आपके अधीन पदव्यूह होकर कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी तक्कल ddnursing13@gmail.com पर उपलब्ध कराते हुए हाई कॉम्पिल संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अथवा आपके विश्वास अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायगी।
10. श्री अरुण कुमार पटेल, मेल नरस जिला चिकित्सालय सीधी की ओर पालनार्थ।
11. प्रमाणी एम.आई.एस स्थानीय कार्यालय की ओर बेंचाईंड पर प्रकाशित करने हेतु।
12. आदेश नस्ती।

संचालक(नरिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश